

उत्तराखण्ड शासन  
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग  
संख्या: 1543 / XVII-3 / 16-07(37-वक्फ बोर्ड) / 2015  
देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 43, सन, 1995) समय—समय पर यथासंशोधित की धारा 14 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को शासन की अधिसूचना संख्या—2416 / स.क. / 2003—36(स.क.) / 2002, दिनांक 06.09.2003 द्वारा स्थापित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं :—

|  |   |  |
|--|---|--|
| 1 मौ० आशिफ मियां, सितारगंज   | मा० मुस्लिम सांसदों / पूर्व मा० मुस्लिम सांसदों के निर्वाचन मण्डल का गठन होना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है।<br>अतः सदस्य नामित। | वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन।   |
| 2 श्रीमती नजमा खान पत्नी मा० सिकन्दर खान, 23 मेघ एन्कलेव, जी.एम.एस. रोड, देहरादून                                | मा० विधायक  | वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रस्तर (दो) के अधीन।  |
| 3 श्री फुरकान अहमद, मा० विधायक—पिरान कलियर, रुड़की, हरिद्वार   | मुस्लिम अधिवक्ता  | वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रस्तर (तीन) के अधीन। |
| 4 हाजी सरवत करीम अन्सारी, मा० विधायक, मंगलौर, हरिद्वार   | मुतवल्ली कोटे से निर्वाचित प्रतिनिधि  | वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रस्तर (चार) के अधीन। |
| 5 श्री मुबारक अली, पुत्र श्री हाजी हसनू ग्राम मुस्तफाबाद, लक्ष्मण रोड हरिद्वार                                   | सामाजिक कार्यकर्ता  | वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन।                  |
| 6 श्री मुनब्बर अली, बाजपुर उधमसिंहनगर  | इस्लाम धर्म के ज्ञाता/विद्वान   | वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन।                  |
| 7 हाजी मोहम्मद अकरम पुत्र हाजी बिन्दुहसन लोहारा लाईन रामनगर, नैनीताल   | संयुक्त सचिव स्तर   | वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ.) के अधीन।                 |
| 8 मा० अमीरहेदर जैदी, मंगलौर, हरिद्वार (शिया मुस्लिम विद्वान)   |   |  |
| 9 श्रीमती नाजमा शेख, पत्नी श्री हुस्नुददीन, केशवनगर, बाजपुर, उधमसिंहनगर (सुन्नी मुस्लिम विद्वान) <u>अभ्यर्थी</u> |   |  |
| 10 श्री एम्सज अहमद, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  |   |  |

2— राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए होगा।

( डॉ. भूपेन्द्र कौर औलख )  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : (1) / XVII-3 / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( विजय चन्द्र कौशल )

अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1543 (2) / XVII-3 / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मार्ग मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिकारीगण/महानुभाव। द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड। बोर्ड, देहरादून।
13. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

88

( सुनीलश्री पांथरी )

संयुक्त सचिव।

## निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड प्रमाणित करता हूँ कि आज दिनांक 05.12.2016 को श्री हाजी मौहम्मद अकरम पुत्र बुन्दू हसन निवासी: लोहारा लाईन, रामनगर जिला—नैनीताल को वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 14 की उपधारा 8 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँ और यह कि उसके प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत कर प्रदान किया।

दिनांक: 05.12.2016

स्थान: देहरादून।

३८२  
(अहमद अली) ४१५८६  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

9/८